पत्र संख्या–स्था0राज0–मानव सम्पदा(2022–23)/ 3581/2223063/राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना राजपत्रित–अनुभाग)
लखनऊः दिनांक 23 दिसम्बर, 2022

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) राज्य कर, लखनऊ।
अपर आयुक्त ग्रेड–1(उ0न्या0कार्य) राज्य कर, प्रयागराज।
अपर आयुक्त ग्रेड–2(उ0न्या0कार्य) राज्य कर, लखनऊ।

राज्य कर मुख्यालय के पत्र संख्या–स्था0 राजपत्रित–मानव सम्पदा (2021–22)/3105/वाणिज्य कर दिनांक 04.01.2022 द्वारा आपको अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का डाटा मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 13.01.2022 तक प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत फीड कराकर सत्यापित करवाने के निर्देश दिये गये थे।

दिनांक 28.11.2022 को शासन द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर Leave Management, एवं Joining & Relieving को एक सप्ताह में समस्त कार्मिकों (अधिकारी/कर्मचारी) हेतु अनिवार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु NIC द्वारा Manav Sampada Portal (eHRMS) app भी बनाया गया है जिसे अधिकारी/कर्मचारी Google Play Store से Download कर सकते हैं। सभी अधिकारी/कर्मचारी Manav Sampada Portal (eHRMS) app/ मानव सम्पदा पोर्टल पर लागिन करने हेतु वांछित लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में अधिकारियों का स्थानान्तरण होने के दृष्टिगत मानव सम्पदा पोर्टल पर अधिकारियों का डाटा पूर्ण कराने का कार्य शेष है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर अपने अधीनस्थ तैनात समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के डाटा का एक सप्ताह के भीतर शत प्रतिशत Entry, Verification एवं Validation पूर्ण कराकर स्थापना राजपत्रित/ स्थापना अराजपत्रित अनुभाग को दिनांक 30.12.2022 तक कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर निर्मित समस्त माड्यूल दिनांक 25.12.2022 से लागू किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

मानव सम्पदा पोर्टल पर कार्य के निस्तारण में किसी समस्या के समाधान हेतु मुख्यालय स्थित स्थापना(राजपत्रित/अराजपत्रित) अनुभाग एवं किसी तकनीकी समस्या के समाधान हेतु आई0टी0 अनुभाग से सम्पर्क स्थापित कर निराकरण करायें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

23/12/22
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त</u>

प्रतिलिपि–

1. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0)राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक(संख्या)/नोडल अधिकारी राज्य कर मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(श्वेता सिंह)
उपायुक्त(स्थापना राजपत्रित) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।